न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 07/2026

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1 सुनिल उर्फ सीयाराम निवासी (बुढी) अर्जुनपुरा तहसील नागौर व जिला नागौर। 2 श्रवणराम पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरणगांव तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री मोहम्मद शाहिद सिलावट, अधिवक्ता।

आदेश

दिनांक –02.04.2026

1– प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा वाहन संख्या RJ19 GD 2413 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मोहम्मद शाहिद सिलावट, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 02.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर अंतिम बहस हेतु निवेदन किया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 18.2.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना खीवंसर की तहरीर दिनांक 17.2.2026 जरिये ई–मेल वाट्स एप से तहरीर प्राप्त हुई जिसके क्रम में कार्यवाही हेतु श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर हमराह देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, रामावतार पूनियां प्रवर्तन अधिकारी, शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचे। मौके पर थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर से सम्पर्क किया एवं तहरीर के आधार पर पुलिस थाना खीवंसर में डिटेन शुदा वाहन सं. RJ19 GD 2413 का निरीक्षण मौके पर उपस्थित लहरीराम HC Belt No 185 की उपस्थिति में किया गया। मौका निरीक्षण में पाया गया कि वाहन BOLERO पीकअप सं. RJ19 GD 2413 पर लगभग 1500 लीटर क्षमता का टैंक बना हुआ है जिसके एक इलेक्ट्रोनिक मीटर मय एक छोटी इलेक्ट्रीक मोटर लगे हुए हैं व एक नोजल लगा है जिससे टैंक से पेट्रोलियम पदार्थ को बाहर निकाला जाता है. व इलेक्ट्रोनिक मीटर द्वारा बाहर निकाले गए पेट्रोलियम पदार्थ का मापन लीटर में अंकित होता है। वाहन पर बने टैंक के ऊपरी ढक्कन को खोलकर निरीक्षण करने पर टैंक में डिप रोड से मापन व कुछ मात्रा में एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी में तरल पदार्थों को निकालकर सूंघने पर यह पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होता है। पास ही के पेट्रोल पम्प मैसर्स राठी पेट्रोल पम्प, खीवंसर के कार्मिक दिनेश देवडा खींवसर द्वारा डेन्सिटी मापन हेतु आवश्यक उपकरण व प्लास्टिक सील व वायर मौके पर उपलब्ध करवाये जाने पर उक्त कार्मिक की उपस्थिति में पेट्रोलियम पदार्थ की डेन्सिटी मापी गई जो हाइड्रोमीटर पर 29 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान पर घनत्व 813 पाया जिसे ASTM टेबल पर 15 डिग्री सेन्टीग्रेड पर घनत्व 822.9 आता है। यह घनत्व डीजल के समकक्ष है। तहरीर / पत्र दिनांक 17.2.26 में थानाधिकारी खींवसर द्वारा उल्लेखित मोबाइल नम्बर से सम्पर्क किया गया किन्तु सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाया। पुलिस ने अपने माध्यम से जानकारी जुटाई जिससे पता लगा कि सुनिल उर्फ सिया राम के परिवार में आज दिनांक को ही श्री जीतू राम की मृत्यु हुई है जो कि सुनिल उर्फ सियाराम के पिताजी है। चूंकि बोलेरो पिक अप वाहन सं. RJ19 GD 2413 के टैंक में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ का घनत्व डीजल के समकक्ष है व पुलिस ने अपनी 17.2.2026 की तहरीर में उल्लेख किया कि उक्त वाहन के मालिक ने बताया कि वाहन पर बने टैंक में डीजल भरा हुआ है। चूंकि वाहन को डीजल विक्रय करते हुए नहीं पकड़ा गया

अपर कलक्टर, नागौर

है। पुलिस ने दिनांक 17.2.2026 की तहरीर में भी उल्लेख किया कि उक्त वाहन टोल नाका टांकला के पास रोड़ पर खड़ा थी। उक्त वाहन की तलाशी के दौरान भी वाहन में, वाहन से सम्बन्धित दस्तावेज आर.सी. इत्यादि तथा वाहन के पीछे बने टैंक में भण्डारित डीजल के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये गये हैं। मौके पर काफी देर तक इन्तजार करने के बावजूद वाहन एवं पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होने पर वाहन में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व परिवहन को अवैध मानते हुए वाहन सं. RJ19 GD 2413 मय पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। प्रकरण में वाहन स्वामी के संबंध में प्रमाणित जानकारी हेतु जिला परिवहन कार्यालय नागौर से सम्पर्क कर उक्त वाहन के संबंध में FORM 24 (MOTOR VEHICLE REGISTER) की प्रति प्राप्त की गई, जिसके अनुसार उक्त वाहन सं. RJ19 GD 2413 का मालिक श्री श्रवणराम पुत्र श्री ओमप्रकाश बरणगांव तहसील व जिला नागौर होना पाया है। इस प्रकार श्री श्रवणराम पुत्र श्री ओमप्रकाश बरणगांव तहसील व जिला नागौर जो कि वास्तविक वाहन मालिक है तथा श्री सुनिल उर्फ सियाराम निवासी (बूढ़ी) अर्जुनपुरा जिसने की पुलिस को दूरभाष पर पुछताछ में वाहन सं. RJ19 GD 2413 का स्वयं मालिक होना तथा वाहन की टंकी में डीजल भरा हुआ होना बताया है, इन दोनों व्यक्तियों का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal&practices) Order 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर वाहन RJ19 GD 2413 के टैंक में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ से कुछ मात्रा में निकाले गए पेट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले एल्युमिनियम के तीन पात्रों में प्रत्येक पात्र में 1000 ML पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। सभी नमूनों वाले पात्रों पर आवश्यक सूचनाएं चस्पा कर मार्का A1, A2, व A3 दिया गया। नमूना क्रमांक A1 को प्लास्टिक सील सं. 238495 नमूना क्रमांक A2 को 983961 व नमूना क्रमांक A3 को 238440 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक A1 वास्ते FSL व नमूना क्रमांक A3 कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिया गया। नमूना क्रमांक A2 को प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। जब्तशुदा वाहन में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड़ से मापन करने पर वाहन के टैंक में कुल 400 लीटर (चार सौ लीटर) पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारित पाया गया। वाहन के टैंकर के ऊपरी दो ढक्कनों को प्लास्टिक सील संख्या 238420 व 238479 से सील्ड किया गया। टैंक के पीछे डिस्पेंशिंग यूनिट वाले बॉक्स को प्लास्टिक सील संख्या 238476 व 238404 से सील्ड किया गया। उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या – RJ19 GD 2413 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के संबंध में मौके पर फर्द मौका / फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा दिनांक 18.02.2026 तैयार किया गया एवं मौके पर उपस्थित जाँच दल एवं गवाह द्वारा उक्त फर्द पर हस्ताक्षर किये गये। अतः प्रार्थी ने प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन BOLERO पीकअप सं. RJ19 GD 2413 मय 400 लीटर (चार सौ लीटर) पेट्रोलियम पदार्थ को धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3–अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण उक्त वाहन से पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन/भण्डारण नहीं करता है। अप्रार्थीगण को उक्त वाहन की आवश्यकता है। अतः उक्त वाहन को अप्रार्थीगण को सुपुर्द करने की कृपा करावे।

4– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर हमराह देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, रामावतार पूनियां प्रवर्तन अधिकारी, शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस थानाधिकारी खींवसर से तहरीर प्राप्त कर जांच करने पर जब्तसुदा वाहन BOLERO पिकअप सं. RJ19 GD 2413 मय 400 लीटर (चार सौ लीटर) पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण अनुपस्थित पाये गये तथा वाहन की तलाशी लेने पर पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, विक्रय तथा भंडारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थीगण का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal-practices) Oder 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा BOLERO पिकअप सं. RJ19 GD 2413 मय 400 लीटर (चार सौ लीटर) पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

07/4/26

अपर कलक्टर, नागौर

प्रकरण में जब्तसुदा BOLERO पिकअप सं. RJ19 GD 2413 मय 400 लीटर (चार सौ लीटर) पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है। प्रकरण में जब्तसुदा BOLERO पिकअप सं. RJ19 GD 2413 का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प मे अप्रार्थीगण पर रूपये 15,000/— अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है, अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तसुदा BOLERO पिकअप सं. RJ19 GD 2413, को मुक्त करने के आदेश दिया जाता है, अप्रार्थीगण द्वारा 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर BOLERO पिकअप सं. RJ19 GD 2413 को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5— निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/4/26

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर